पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 370/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-07.12.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 07.12.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है:-

01.थाना –अतरौलिया:-किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 05.12.2024 को वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी की नाबालिग पुत्री जो पडोस में ही धान की भूसी लेने गयी थी जहाँ पर मौका पाकर चैनू उर्फ रविशंकर पुत्र गोकुल निवासी ग्राम भीलमपुर छपरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ उम्र 51 वर्ष द्वारा वादी की पुत्री के साथ छेड़खानी किया गया। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 391/24 धारा 74 बीएनएस व 9M/10 पाक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 07.12.24 को उ0नि0 रामनिहाल वर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त चैनू उर्फ रविशंकर पुत्र गोकुल सा0 भीलमपुर छपरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 51 वर्ष को उसके घर से समय करीब 12.35 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

02.थाना-दीदारगंजः- दुष्कर्म का 01 आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 02.12.24 को वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी की पुत्री को रात्रि के समय करीब 12 बजे अभियुक्त अमित यादव पुत्र मेवालाल यादव ग्राम हारुनपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया। जिसकी शिकायत अभियुक्त के घर वालों से करने पर उसके परिवार वालों द्वारा गाली गलौज किया गया जिससे अभियुक्त के घर वालों का भी साजिश में शामिल होना प्रतीत होता। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 285/24 धारा 137(2), 87, 352, 61(1) बीएनएस बनाम 1. अमित यादव पुत्र मेवालाल यादव ग्राम हारुनपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ 2. मेवालाल यादव पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम हारुनपुर थाना दीदारंगज आजमगढ़ 3. लौकुश पुत्र जीयालाल निवासी ग्राम हारुनपुर थाना दीदारंगज आजमगढ़ 4.जियालाल पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम हारुनपुर थाना दीदारंगज आजमगढ़ 5.अंशुमान यादव पुत्र जीयालाल निवासी ग्राम हारुनपुर थाना दीदारंगज आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 137(2),87,352, 64,61(2) BNS की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 07.12.2024 को उ0नि0 अवधेश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अमित यादव पुत्र मेवालाल यादव ग्राम हारूनपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को पुष्पनगर बाजार चौराहे से समय करीब 11.05 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

03.थाना-बिलरियागंज:-दुष्कर्म के आरोपी का सहयोग करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार व एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 30.10.2024 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी की नाबालिक पुत्री व उसके रिस्तेदार की नाबालिक पुत्री दोनों ब्यूटी पार्लर गयी थी जिन्हें अभियुक्त सुजीत कुमार पुत्र संजय सरोज द्वारा बहला-फुसलाकर दोनो लड़कियो को भगा ले जाया गया। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 385/24 धारा 87/137(2) बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीड़िता के बयान के आधार पर भगाने में सहयोग करने वाले वाले अभियुक्त आकाश निषाद पुत्र झूरी निषाद निवासी मल्लाह टोला मडैया सदर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ व एक बाल अपचारी का नाम प्रकाश में आया तथा धारा 64/142 की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 07.12.2024 को उ0नि0 लवकुश कुमार सोनकर मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त आकाश निषाद पुत्र झूरी निषाद निवासी मल्लाह टोला मडैया सदर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को श्रीनगर सियरहा अण्डर पास से समय करीब 12.50 बजे गिरफ्तार किया गया व एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।